न्यायालय सत्र न्यायाधीश चन्दौली
आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या 142/2024
उदयी बनाम राज्य

01—01—2026

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। प्रार्थी उदयी सिंह की ओर से दिनांक 28—05—2024 को एक प्रार्थनापत्र 5ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र 6ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि वह शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 23—10—2023 के विरूद्ध न्यायालय में अपील दाखिल नहीं कर सका था जब वह आंशिक रूप से स्वस्थ हुआ तो दिनांक 28—05—2024 को 121 दिन विलम्ब से न्यायालय में याचिका दाखिल कर रहा है। याचिका दाखिल करने में हुई देरी इरादतन न होकर वास्तविक है और क्षमा योग्य है। अतः उसे धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए याचिका दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाय ।

प्रार्थी उदयी की ओर से दाखिल उक्त प्रार्थनापत्र 5ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर विपक्षी उत्तर प्रदेश राज्य के अधिवक्ता सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गई है बल्कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र 5ख का मौखिक एवं कड़ा विरोध किया गया है।

मैंने प्रार्थनापत्र 5ख व शपथपत्र 6ख पर प्रार्थी उदयी सिंह के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुन लिया है व पत्रावली का विस्तारपूर्वक अवलोकन कर लिया है।

प्रार्थी उदयी सिंह ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र 6ख दाखिल किया है जिसका खण्डन विपक्षी की ओर से किसी प्रति शपथपत्र के माध्यम से नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी उदयी सिंह का उक्त शपथपत्र 6ख अखण्डित है। अतः उस पर अविश्वास किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। मुसंरिम जनपद न्यायालय चन्दौली की आख्या दिनांकित 28—05—2024 से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत आपराधिक निगरानी याचिका दाखिल करने में 121 दिन का विलम्ब है। 121 दिन की अवधि कोई अधिक अवधि नहीं होती है। पुनः विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मामले का निस्तारण गुण दोष के आधार पर उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के उपरान्त ही किया जाना अधिक न्याय संगत होता है। पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दी गई कई विधि व्यवस्थाओं में भी यह अभिकथित है कि न्यायालयों को धारा—5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र के निस्तारण में अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी उदयी सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 5ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मु0 सात सौ रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी उदयी सिंह हर्जे की उक्त धनराशि मु0 सात सौ रूपये दिनांक 10—01—2026 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली के कार्यालय में जमा करें और उसकी रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

सत्र न्यायाधीश
चन्दौली।

Digitally signed by DIWAKAR PRASAD CHATURVEDI
Date: 2026.03.14 10:45:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court